

छुट्टी की आर्जी का फार्म  
**FORM OF APPLICATION FOR LEAVE**

एस. आर-१  
S. R-1

(अनुपुरक नियम २१६ देखिये)

(See Supplementary Rule 216)

टिप्पणी :- मद सख्या १ से ११ प्रत्येक प्रार्थी को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रिन हो या अराजपत्रिन

Note : Item 1 to 11 must be filled in by all applicants whether gazetted or non-gazetted.

- १ प्राथी का नाम
1. Name of Applicant
- २ लागू होने वाली छुट्टी नियमावली
2. Leave rules applicable
- ३ पद
3. Post held
- ४ विभाग, कार्यालय और अनुभाग
4. Department, Office and Section
- ५ वेतन
5. Pay
- ६ वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता, या अन्य प्रतिकर भत्ते।
6. House rent allowance, conveyance allowance, or other compensatory allowances drawn in the present post.
- ७ मांगी गयी छुट्टी की किस्म, अवधि और उसके शुरू होने की तारीख
7. Nature and period of leave applied for and date from which required.
- ८ रविवार और छुट्टी के दिन, यदि कोई हो जिन्हें छुट्टी से महले/बाद में जोड़ना चाहते हैं।
8. Sundays & holidays, if any proposed to be prefixed/suffixed to leave.
- ९ छुट्टी का कारण
9. Ground on which leave is applied for
- १० पिछली छुट्टी से लौटने की तारीख और उस छुट्टी की किस्म तथा अवधि
10. Date of return from last leave, and the nature and period of that leave
- ११ मेरा विचार आगामी छुट्टी में..... के अण्ट वर्षों के लिये छुट्टी यात्रा की रियायत लेने का है/नहीं है।
11. I propose/do not propose to avail myself of leave travel concession for the block years ..... during the ensuing leave.
- १२ (क) मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित छुट्टी की अवधि में लिए गये छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन/आधे वेतन की छुट्टी में मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम की वापस कर दूंगा जो छुट्टी की समाप्ति पर भयवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की मिति में मूल नियम ८१ (ब) (ii) संशोधित छुट्टी नियमावली, १९३३ के नियम ११ (ग) (iii) के लागू न होने पर अनुमत्त न होंगी।
12. (a) I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/half pay leave, which would not have been admissible had the proviso to F.R. 81(b) (ii) rule 11 (c) (iii) of the Revised Leave Rules 1993 not been applied in the event of my retirement from service at the end or during the currency of the leave
- १२ (ख) मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्वाग-पत्र देने तक यदि मैं कम आधे वेतन की उतनी छुट्टी अर्जित न कर सकूँ जितनी अग्रिम छुट्टी मैंने ली है तो मैं अग्रिम छुट्टी के दौरान, जो मूल नियम ८१ (ग) / संशोधित छुट्टी नियमावली १९३३ के नियम ११ (घ) के लागू न किये जाने पर मुझे न मिल पाती मिले छुट्टी के वेतन की वापस कर दूंगा।
12. (b) I undertake to refund the leave salary drawn during "leave not due" which would not been admissible had F. R. 81 (c) Rule 11 (d) of the Revised Leave Rules 1993, not been applied, in the event of my



voluntary retirement or resignation from service at any time until learn half pay leave not less than the amount of leave not due availed of by me.

तारीख

Date.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर

Signature of Applicant.....

१३ नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश

13. Remarks and/or recommendation of the Controlling Officer.

तारीख

Date.....

हस्ताक्षर

Signature.....

पदनाम

Designation.....

छुट्टी की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण पत्र  
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE  
(राजपत्रत अधिकारियों के संबंध में महारांखाकार द्वारा)  
(By Accountant General in the case of gazetted officers)

१४ प्रमाणित किया जाता है कि.....ये.....  
तक.....दिन के लिए.....नियमावली के नियम.....  
के अधीन.....अनुमत्य है।  
(छुट्टी की किस्म)

14. Certified that.....[nature of leave]  
for.....from.....to.....[period]  
is admissible under rule.....of the.....Rules.

तारीख

Date.....

हस्ताक्षर

Signature.....

पदनाम

Designation.....

१५. \*स्वीकृति देने वाले अधिकारी के आदेश :

15. \*Orders of the sanctioning authority :

तारीख

Date.....

हस्ताक्षर

Signature.....

पदनाम

Designation.....

\*यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता हो तो मंजूरी देने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि छुट्टी पूरी होने पर प्रार्थी उसी पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहाँ इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो।  
\*If the applicant is drawing any compensatory allowance, the sanctioning authority should state whether on the expiry of leave he is likely to return to the same post or to another post carrying a similar allowance.

